BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

भारत में वृद्धजन

जनसंख्या, चुनौतियां और सरकारी पहल

28 अक्टूबर, 2025

मुख्य बातें

- भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 2036 तक लगभग 23 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15% है।
- 2036 तक क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने की उम्मीद के साथ, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सहित दक्षिणी राज्यों में वृद्धों की आबादी अधिक है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अधिनियम, नीतियां और कार्यक्रम विकसित और कार्यान्वित करता है।
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007, संशोधित माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।

परिचय

भारत तेजी से जनसांख्यिकीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अनुमान है कि वृद्ध जनसंख्या (60 वर्ष और उससे अधिक) 2011 के 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक दोगुने से भी ज़्यादा यानी 23 करोड़ हो जाएगी। यह परिवर्तन दर्शाता है कि 2036 तक, लगभग हर सात में से एक भारतीय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा, जो देश की जनसंख्या में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भारत ने घटती प्रजनन क्षमता और बढ़ती जीवन प्रत्याशा दरों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई नीतियां, कार्यक्रम और कानूनी प्रावधान अपनाए हैं।

बुजुर्गों की जरूरतों को पूरा करने का महत्व

बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवा ने भारत में लोगों को लंबी उम्र जीने में मदद की है, लेकिन इससे बिना अमीर हुए भी बुढ़ापे में नई चुनौतियां और अवसर भी सामने आते हैं। सरकार को खासकर आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों और विधवाओं के लिए पेंशन, पर्याप्त आवास और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को प्राथमिकता देनी चाहिए।

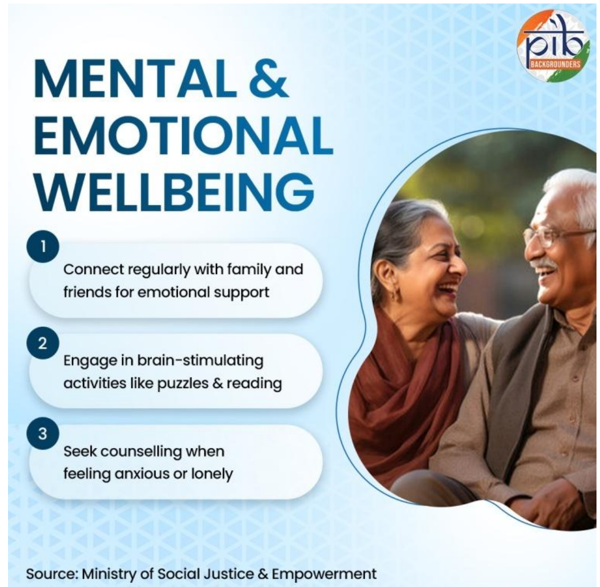

बुजुर्गों के समर्थन के दृष्टिकोण में परिवार और समुदाय द्वारा संचालित पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही वित्तीय सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण, दीर्घकालिक देखभाल बीमा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, सहायक तकनीकें और जुड़ाव प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने चाहिए। ये तत्व भारत की उभरती 'सिल्वर इकोनॉमी' में बुजुर्गों को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वृद्धजनों, विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई वस्तुओं और सेवाओं द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। यह ऐसे कार्य अवसर भी प्रदान करती है जो वृद्धजनों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का योगदान करने में सक्षम बनाते हैं।

जनसांख्यिकीय रुझान

यह जानने के लिए कि वृद्ध लोगों की जनसंख्या कैसे बदल रही है और भविष्य के लिए क्या अनुमान है, जुलाई 2020 में जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह (TGPP) द्वारा भारत और राज्यों के लिए एक "जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट" तैयार की गई थी।[1] रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वृद्ध जनसंख्या 2036 तक 23 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो व्यापक प्रभावों वाले एक गहन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे देश में वृद्ध जनसंख्या में उल्लेखनीय क्षेत्रीय असमानताएं हैं और यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन पूरे देश में एक समान नहीं है।

[1] https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में पहले से ही विकसित देशों के समान वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है। केरल में वृद्ध जनसंख्या 2011 के 13% से बढ़कर 2036 तक 23% हो जाने की उम्मीद है, जिससे यह सबसे वृद्ध आबादी वाला राज्य बन जाएगा। इसके विपरीत, कई उत्तरी और पूर्वी राज्यों में अभी वृद्ध लोगों की संख्या कम है, लेकिन उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अपेक्षाकृत युवा है, तथा अनुमान है कि वृद्ध वर्ग 2011 के 7% से बढ़कर 2036 तक 12% हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में वृद्ध जनसंख्या औसत से अधिक है, जो भारत के विविध जनसांख्यिकीय परिदृश्य को उजागर करता है।

भारत का अनुदैर्ध्य वृद्धावस्था अध्ययन (LASI) 2021 एक पूर्ण पैमाने का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और भारत में वृद्ध जनसंख्या की स्थिति पर एक मौलिक अध्ययन है। यह अध्ययन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में किया गया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन है। रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की 12% आबादी बुजुर्गों की है, यह अनुपात 2050 तक बढ़कर 319 मिलियन होने का अनुमान है, जो लगभग 3% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। बुजुर्गों में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,065 महिलाओं का है, जिसमें महिलाएं बुजुर्ग आबादी का 58% हिस्सा हैं, जिनमें से 54% विधवाएं हैं। इसके अलावा, समग्र निर्भरता अनुपात प्रति 100 कामकाजी आयु के व्यक्तियों पर 62 आश्रितों का है!

वृद्धजनों के समक्ष चुनौतियां

भारत में वृद्धजन अक्सर संस्थागत और पारिवारिक, दोनों ही स्तरों पर पर्याप्त सहायता प्रणालियों के अभाव के कारण खुद को असुरक्षित स्थिति में पाते हैं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल हैं:

- **स्वास्थ्य:** गलतफहमी वाली मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां (मनोभ्रंश, अल्ज़ाइमर), बढ़ती विकलांगताएं, अपर्याप्त वृद्धावस्था बुनियादी ढांचा, चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच में शहरी-ग्रामीण विभाजन।
- **आर्थिक:** अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, जीवनयापन और चिकित्सा व्यय में वृद्धि, सीमित वित्तीय संसाधन।
- **सामाजिक:** कमजोर होती पारिवारिक सहायता प्रणालियां, सामाजिक अलगाव, उपेक्षा, संगति का अभाव आदि।
- **डिजिटल विभाजन:** प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधाएँ, प्रशिक्षण और सुलभ उपकरणों का अभाव।
- **बुनियादी ढांचा:** अपर्याप्त साक्षरता, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में वृद्धजनों को असुरक्षित समूह के रूप में नजरअंदाज करना। भारत में सार्वजनिक स्थान और परिवहन काफी हद तक वृद्धजनों के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि कई क्षेत्रों में रैंप, रेलिंग और सुलभ शौचालयों की कमी है।

भारत में वृद्धजनों के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार ने वृद्धजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक पहल, नीतियाँ और कार्य योजनाएँ शुरू की हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी वाला नोडल मंत्रालय है। वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और आयुष सहित विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करते हुए, MoSJE ने देश भर में वृद्धजनों की सहायता के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों के व्यापक विकास का नेतृत्व किया है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, कल्याण और सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहलों को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाना है । प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

अटल पेंशन योजना2 (एपीवाई)

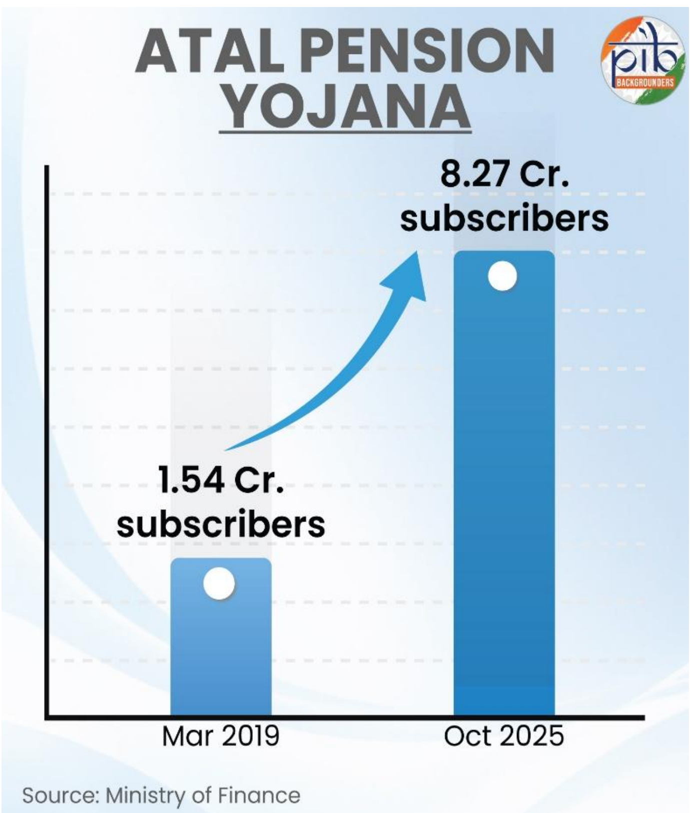

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) [3] भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका संचालन पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 9 मई, 2015 को प्रारंभ की गई यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के उन नागरिकों के लिए है जिनके पास बचत बैंक खाता है (1 अक्टूबर 2022 से आयकरदाताओं को छोड़कर)। यह योजना ग्राहक के 60 वर्ष का हो जाने पर न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन की गारंटी देती है, ग्राहक की मृत्यु के बाद उतनी ही राशि उसके जीवनसाथी को देय होगी और दोनों के निधन के बाद संचित पेंशन राशि नामित

---

[3] https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc202558551701.pdf

व्यक्ति को दी जाएगी। 60 वर्ष की आयु तक मासिक, त्रैमासिक या अर्ध-वार्षिक अंतराल पर ऑटो-डेबिट के माध्यम से योगदान किया जाता है और यदि गारंटीकृत पेंशन के लिए रिटर्न अपर्याप्त है, तो कमी सरकार द्वारा पूरी की जाती है। अटल पेंशन योजना में नामांकन मार्च 2019 में 1.54 करोड़ से बढ़कर 5 अक्टूबर, 2025[4] तक 8.27 करोड़ हो गया। प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ (एयूएम) 49,000 करोड़ रुपये से अधिक हैं।

अटल वयो अभ्युदय योजना

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत अटल वयो अभ्युदय योजना (अव्यय) भारत भर के वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक पहल है। यह योजना समाज में वृद्धजनों के अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनके समग्र कल्याण एवं सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार जीवन के सभी पहलुओं में वरिष्ठ नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और समावेशन को सुगम बनाकर, उन्हें सशक्त और उन्नत बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जिससे राष्ट्र के प्रति उनकी आजीवन सेवा का सम्मान होता है। इस योजना के घटक इस प्रकार हैं:

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) योजना

वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम[5] (आईपीएसआरसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पंजीकृत सोसायटियों, पंचायती राज संस्थानों, गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) जैसे मान्यता प्राप्त युवा संगठनों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों), सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों, फिजियोथेरेपी क्लीनिकों और क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन और रखरखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। अगस्त 2025 तक, देश भर में 696 वरिष्ठ नागरिक गृह कार्य कर रहे हैं, जो 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पोषण, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सहित मुफ्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)

[4] Ministry of Finance
[5] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153127

1 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आयु-संबंधी विकलांगताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन-यापन उपकरण प्रदान करती है। ये उपकरण, जिनमें चलने की छड़ियां, कोहनी की बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर और डेन्चर शामिल हैं, लगभग सामान्य शारीरिक क्रियाओं को बहाल करने में मदद करते हैं। इन उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा किया जाता है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों या 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। ये उपकरण शिविरों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये उपकरण उनके घर पर पहुंचाए जा सकते हैं। 15 अक्टूबर, 2025 तक इस योजना की वर्तमान स्थिति[6] में शामिल हैं:

- शिविरों की कुल संख्या 154+
- वितरित उपकरणों की कुल संख्या 28,48,799+
- कुल लाभार्थियों की संख्या 5,35,651+

बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन (एल्डरली हेल्पलाइन)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है, जो देश भर के वृद्ध व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक समर्पित सेवा है। टोल-फ्री नंबर 14567 के माध्यम से उपलब्ध, एल्डरलाइन, दयालु सहायता प्रदान करती है और वरिष्ठ नागरिकों को प्रासंगिक सेवाओं से जोड़ती है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत की वृद्ध आबादी के कल्याण और सम्मान को बढ़ाना है।

सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (एसएजीई) पोर्टल

एसएजीई, अटल वयोअभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)[7] के अंतर्गत एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य युवा उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को विश्वसनीय वृद्ध देखभाल समाधान विकसित करने और "सिल्वर इकोनॉमी" में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप्स से विश्वसनीय वृद्ध देखभाल उत्पादों और सेवाओं को खोजता, जांचता और एक साथ लाता है, जिससे एक ऐसा एकल मंच उपलब्ध होता है जहां सभी उपयोगकर्ता आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। यह योजना चयनित स्टार्ट-अप्स को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) के माध्यम से प्रति परियोजना 1 करोड़ रुपये

[6] https://scw.dosje.gov.in/rashtriya-vayoshri-yojana
[7] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942849

तक की इक्विटी सहायता प्रदान करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि स्टार्ट-अप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक न हो। सरकार एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है, और स्टार्ट-अप्स का चयन उनके अभिनव उत्पादों और सेवाओं के आधार पर किया जाता है।

वरिष्ठ सक्षम नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण पुनर्नियोजन (एसएसीआरईडी) पोर्टल

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया **एसएसीआरईडी पोर्टल**, अटल वयोअभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) की एक व्यापक योजना का एक घटक है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने और नौकरी और कार्य के अवसर खोजने में सक्षम बनाता है। यह पोर्टल विभिन्न पदों के लिए वरिष्ठ नागरिकों और निजी उद्यमों के बीच वरीयताओं के आभासी मिलान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे बाद के वर्षों में पुनर्नियोजन और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है।

वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण

योजना वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के पेशेवर जनशक्ति के प्रशिक्षण पर केंद्रित है जो वृद्ध जनसंख्या की विविध और गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल और पाठ्यक्रम नैदानिक और गैर-नैदानिक दोनों पहलुओं को शामिल करते हैं, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की भलाई और साहचर्य आवश्यकताओं पर भी ज़ोर देते हैं। यह घटक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के माध्यम से संचालित किया जाता है। 18 मार्च 2025 को लोकसभा में उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत कुल 32 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने 36,785 प्रशिक्षुओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे देश भर में वृद्धों की सहायता के लिए उपलब्ध योग्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई योजना, नामांकित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पताल में भर्ती के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से विनाशकारी चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा मिलती है। सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2024 को आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई योजना के एक महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की गई, जिसके तहत 4.5 करोड़ परिवारों के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ

नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, प्रति वर्ष ₹5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ दिया जाएगा। 15 जनवरी, 2025 तक, 40 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इस योजना में सफलतापूर्वक नामांकन कराया है, जो भारत की बुजुर्ग आबादी को व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)

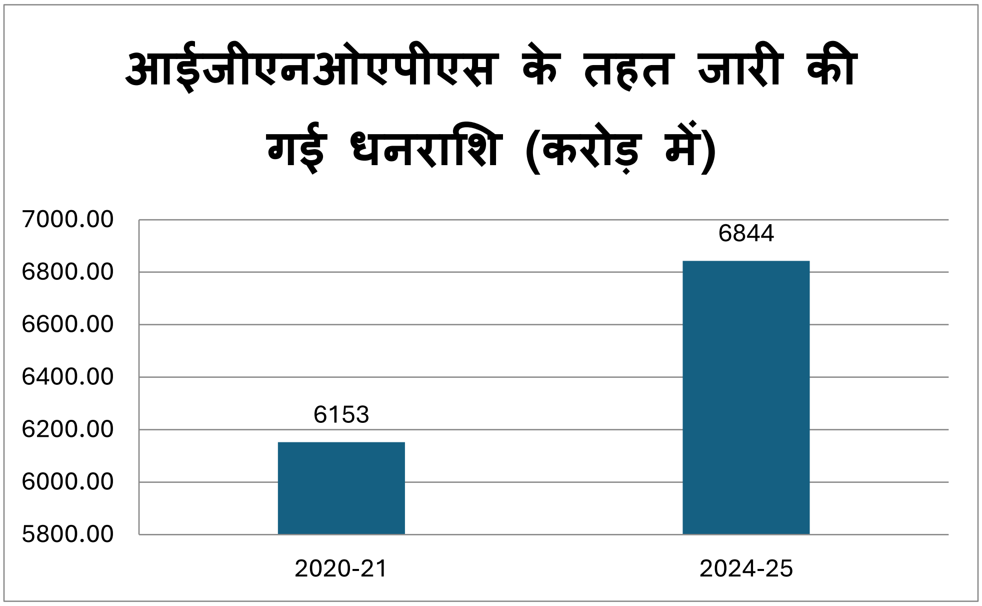

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना[8] (आईजीएनओएपीएस) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का एक प्रमुख घटक है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पात्र लाभार्थियों को 200 रुपये (79 वर्ष तक) और 500 रुपये (80 वर्ष से अधिक आयु) की मासिक पेंशन मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित, एनएसएपी का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देते हुए आजीविका सुरक्षा, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। अक्टूबर 2025 तक, 2.21 करोड़ से अधिक नागरिक[9] आईजीएनओएपीएस से लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई)

[8] https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152593
[9] https://nsap.nic.in/

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम[10] (एनपीएचसीई), जिसे 2010-11 में एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को सुलभ, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाली व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम वर्तमान में भारत भर के सभी 713 स्वास्थ्य जिलों को कवर करता है, जिसमें ओपीडी, 10-बिस्तर वाले वृद्धजन वार्ड, फिजियोथेरेपी और जिला अस्पतालों और उससे नीचे के स्तर पर प्रयोगशाला सुविधाओं सहित समर्पित वृद्धजन चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष

वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) [11] की स्थापना वित्त अधिनियम, 2015 के तहत राष्ट्रीय वृद्धजन नीति और राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति के अनुरूप वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

लघु बचत योजनाओं, कर्मचारी भविष्य निधि, लोक भविष्य निधि, जीवन और गैर-जीवन बीमा पॉलिसियों, और कोयला खदान भविष्य निधि खातों जैसे स्रोतों से प्राप्त दावा न की गई धनराशि एससीडब्ल्यूएफ में स्थानांतरित की जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस कोष के प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है।

बुजुर्गों के लिए सामाजिक और सामुदायिक सहायता

बुजुर्गों के भावनात्मक कल्याण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सामाजिक और सामुदायिक सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह की पहल अकेलेपन को कम करती है और उनके बुढ़ापे में अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती है।

पारिवारिक सहायता

परिवार हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिक सहायता प्रणाली बना हुआ है, जो वित्तीय, भावनात्मक और देखभाल संबंधी सहायता प्रदान करता है। हालांकि, प्रवासन, शहरीकरण और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या ने पारंपरिक पारिवारिक देखभाल के इस सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया है। परिणामस्वरूप, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 दिसंबर 2007[12] में लागू हुआ,

---

[10]https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082719
[11]https://scw.dosje.gov.in/content/senior-citizens-welfare-fund-scwf
[12]https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/83211672138255.pdf (Page 3)

जो बच्चों और उत्तराधिकारियों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है, जिससे पारिवारिक उत्तरदायित्व सुदृढ़ होता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि: "माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण, उनके समग्र शारीरिक और मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए संस्थानों की स्थापना, प्रबंधन और विनियमन और इसके लिए सेवाएं तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक अन्य मामलों के लिए संविधान द्वारा गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम"।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 ने वृद्धजनों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए। संशोधन ने "बच्चों" की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए सौतेले बच्चों, दत्तक बच्चों, सास-ससुर और नाबालिग बच्चों के कानूनी अभिभावकों को भी इसमें शामिल कर दिया, जबकि "माता-पिता" में अब सास-ससुर और दादा-दादी भी शामिल हैं। एक प्रमुख वित्तीय सुधार ने 10,000 रुपये मासिक भरण-पोषण की सीमा को हटा दिया, जिससे न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर और उनके बच्चों की कमाई क्षमता के आधार पर उचित राशि निर्धारित कर सकेंगे। इस विधेयक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए केवल "सामान्य जीवन" जीने के बजाय "सम्मानपूर्ण जीवन" जीने का आदेश देकर देखभाल के मानकों को ऊँचा उठाया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए, संशोधन में प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति और प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष पुलिस इकाई की स्थापना अनिवार्य कर दी गई। विधेयक में दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरेलू देखभाल सेवाएं भी शुरू की गईं, "रखरखाव" का विस्तार कर इसमें स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा और संरक्षा को शामिल किया गया, तथा "कल्याण" का विस्तार कर इसमें आवास, कपड़े, सुरक्षा को भी शामिल किया गया, साथ ही यह अनिवार्य किया गया कि निजी सुविधाओं सहित सभी अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित कतारें, बिस्तर और वृद्धावस्था देखभाल प्रदान करें।

प्रौद्योगिकी की भूमिका

भारत में बुजुर्गों की सहायता करने, उनकी स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, संचार, स्वतंत्रता और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद के साथ, इस समूह की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक-सक्षम समाधान आवश्यक होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के तहत टेलीमेडिसिन सेवाएं बिना यात्रा किए डॉक्टरों तक पहुंच प्रदान करती हैं, जो विशेष रूप से घर पर रहने वाले बुजुर्गों या

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए उपयोगी हैं। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म मुफ्त, घर-आधारित चिकित्सा परामर्श प्रदान करता है, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करता है और अकेलेपन व तनाव के लिए मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करता है। सुरक्षा, स्वास्थ्य निगरानी और स्वतंत्रता को बढ़ाकर बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड जैसे पहनने योग्य उपकरण महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करने, शारीरिक गतिविधि पर नजर रखने और आपात स्थिति में अलर्ट भेजने में मदद करते हैं, जिससे समय पर चिकित्सा सहायता मिल पाती है। ऑनलाइन फार्मेसीज़ वृद्धों के लिए घर पर ही दवाएं मंगवाना और प्राप्त करना आसान बनाती हैं, जिससे बार-बार यात्रा किए बिना देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित होती है। कैमरे और सेंसर जैसी स्मार्ट होम तकनीकें परिवार के सदस्यों या देखभाल करने वालों को दूर से ही वरिष्ठ नागरिकों की भलाई पर नज़र रखने की सुविधा देती हैं, जिससे उन्हें निजता बनाए रखते हुए मानसिक शांति मिलती है। ये सभी नवाचार मिलकर वृद्धावस्था के अनुभव को और अधिक जुड़ावपूर्ण, सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल

वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है जो सरकारी योजनाओं, पेंशन कार्यक्रमों, हेल्पलाइनों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए डाउनलोड करने योग्य फॉर्म तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है। यह वरिष्ठ नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों और देखभालकर्ताओं के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता डिजिटल साक्षरता और व्यापक प्रयासों पर निर्भर करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वृद्धजन इस तक पहुंच सकें।[13]

बुजुर्गों की सहायता के तरीके

भारत में वृद्धजनों के जीवन को बेहतर बनाने में सामाजिक सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने और अंतर-पीढ़ी कार्यक्रमों के माध्यम से अलगाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

वृद्धजनों के लिए आवास

वृद्ध नागरिकों के लिए सुलभ परिवहन, सुव्यवस्थित सुविधाएं, बाधा-मुक्त भवन और उपयोगकर्ता-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाएं सुनिश्चित करके शहरी स्थानों, परिवहन और आवास का डिजाइन वास्तव में समावेशी

---

[13] https://scw.dosje.gov.in/

शहरों के निर्माण का एक शानदार अवसर प्रदान करता है, जो बाद के जीवन में सम्मान और स्वतंत्रता का समर्थन करती हैं। वृद्धाश्रमों के विकास और विनियमन हेतु आदर्श दिशानिर्देश, 2019, वृद्ध-अनुकूल आवास और सामुदायिक जीवन व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए जारी किए गए थे।[14]

अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देना

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (डीओएसआईएफ) ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 के अवसर पर अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक खेल, नैतिक पाटम[15] लॉन्च किया। यह खेल बच्चों के लिए नैतिक मूल्यों और आचार-विचार को परिभाषित करता है और बड़ों के प्रति प्रेम, देखभाल और सम्मान के माध्यम से पारिवारिक बंधन में इसके महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार डिजाइन किया गया यह खेल परिवार द्वारा एक साथ खेला जाना है।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस

1 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित एक विशेष दिन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर, 1990 को इसे इस दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 2005 से इस दिवस को मना रहा है। 2025 का विषय "सम्मान के साथ वृद्धावस्था" है, जो वृद्ध जनसंख्या के सम्मान और गरिमा के महत्व पर प्रकाश डालता है।

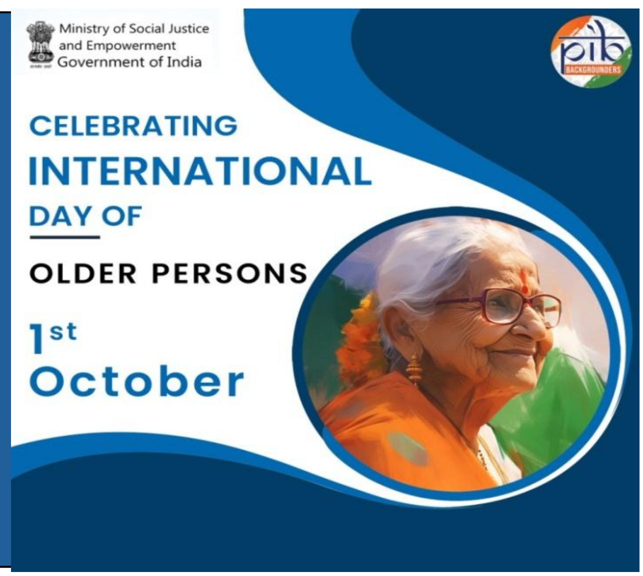

निष्कर्ष

भारत की रजत अर्थव्यवस्था का मूल्य 2024 में लगभग तिहत्तर हज़ार करोड़ रुपये आंका गया है, और अनुमानों के अनुसार आने वाले वर्षों में इसमें कई गुना वृद्धि होगी। शोध के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ 45 से 64 आयु वर्ग के पेशेवर भी विश्व स्तर पर 'सबसे धनी आयु वर्ग' के रूप में पहचाने गए

[14] https://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/Retirement%20Model%20Guidelines%20Book.pdf
[15] https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2173857

हैं। भारत में वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र स्वास्थ्य और कल्याण-केंद्रित उद्यमों के लिए अपार विकास की संभावनाएँ प्रदान करता है। यह बढ़ती रजत अर्थव्यवस्था, वृद्ध जनसांख्यिकी की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित व्यवसायों और संगठनों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। यह बाज़ार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर तेज़ी से विस्तार के लिए तैयार है, जिससे इस क्षेत्र में नवाचार और विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं।

एक व्यापक वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रणाली के लिए स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से वृद्धजनों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना आवश्यक है। मूलभूत कार्यों में वरिष्ठ नागरिक देखभाल को आवश्यक नियमों और मानकों के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में मान्यता देना, स्पष्ट मूल्यांकन ढांचों पर आधारित नीतिगत और नियामक सुधारों को लागू करना, और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वित दृष्टिकोण को मज़बूत करना शामिल है। इस ढाँचे में विविध हितधारकों - पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी प्रदाताओं - का उपयोग किया जाना चाहिए, साथ ही प्रभावी, कुशल और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए अंतर-मंत्रालयी अभिसरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संदर्भ

Press Information Bureau:

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152593

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/may/doc202558551701.pdf

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149101

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2082719

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1942849

Others:

https://www.socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/International_Day_of_Older_Persons636011781954563264.pdf (Page 1)

https://socialjustice.gov.in/writereaddata/UploadFile/83211672138255.pdf (Page 3)

https://esanjeevani.mohfw.gov.in/#/

https://scw.dosje.gov.in/

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Population%20Projection%20Report%202011-2036%20-%20upload_compressed_0.pdf

पीके / केसी/ एमपी